BA Part 3rd Phi Hons paper 6th

Dr. Arti Kumari
Asso. Prof .
Deptt. Of Philosophy
B.N. College
T. M.B.U, Bhagalpur

(1) बाह्य आक्रमण से सुरक्षा तथा
(2) आंतरिक व्यवस्था स्थापित करना।

राज्य के अस्तित्व की सुरक्षा की भावना के कारण ही संविधानवाद की उत्पत्ति हुई, क्योंकि कभी-2 ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति निरंकुश होकर राज्य के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता तथा दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में डालता। इस कारण शासक पर नियंत्रण रखने के लिए भिन्न कालों में विभिन्न संस्थाओं की उत्पत्ति हुई जिससे उनकी मनमानी इच्छाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्राचीन काल में प्लेटो तथा अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए उच्चतर शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जिसे सभी (शासक और शासित) समान रूप से स्वीकृति प्रदान करें। ये लिखित या अलिखित दोनों हो सकते हैं। जिन्हें वर्तमान समय में संविधान की संज्ञा दी गई। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक को आदर्श राज्य का सर्वोच्च अधिपति के रूप में स्वीकार किया जिसमें दार्शनिक राजा के शासन को सर्वोत्तम तो स्वीकार किया परन्तु इस आदर्श में स्वतंत्र कानून का कोई स्थान नहीं था इस कारण अपनी इससे पृथक् और 'Laws' में

प्रदान किया। कालान्तर में प्लेटो के अनुयायी (Aristotle) अरस्तु ने विधि के शासन को सर्वोत्तम शासन के रूप में स्वीकार किया। उनके शब्दों में,

"बुद्धिमान शासक भी बिना कानून के शासन नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के अवैयक्तिक गुण हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो निर्वैयक्तिक नहीं हो सकता। कानून इच्छाओं से अप्रभावित युक्ति है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो के समान अरस्तु भी विधि के शासन को ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कानून तथा विवेक बुद्धि पर्यायवाची हैं, यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसमें नीति का लक्ष्य है सद्गुणी जीवन और कानून का लक्ष्य है न्याय।

संविधानवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है Constitution जिसका अर्थ है बनावट से रचना या ढाँचा। इस प्रकार राजनीति में संविधानवाद का अर्थ होता है राज्य की बनावट संबंधी सिद्धान्त जिसका मूल उद्देश्य है कि समाज तथा शासन इस प्रकार संचालित हो ताकि समाज के आदर्श तथा मूल्य सुरक्षित रहें।

थी सत्य व ही विधि के मूल स्रोत संहिताकार हैं। पर उनमें अलिखित प्रथाओं और रीति-रिवाजों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान के निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि संविधान आदर्शों पर आधारित हो, आदर्श नियमों पर या विधि या कानून पर आधारित हो चूंकि राज्य एक नैतिक समुदाय है जिसका लक्ष्य है सद्गुणी जीवन जीने के लिए आवश्यकता है प्राकृतिक तथा विधियों की। अरस्तु ने संविधान तथा लोकाचार पर आधारित कानून को प्राकृतिक नियमों तथा नियमों के समान माना है इसके लिए कानून मानव को पूर्ण बनाने के साथ युगों के संचित अनुभवों तथा बुद्धिमत्ता का सम्मिश्रण है। संवैधानिक राज्य में सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा सुरक्षित रहती है। अरस्तु ने संवैधानिक शासन के तीन मुख्य तत्व को स्वीकार किया है-

1) यह सामान्य हित में शासन है।
2) यह विधि-युक्त शासन है मनमानी शासन नहीं,
3) यह स्वेच्छाचारी व्यक्तियों का शासन नहीं बल्कि अपना शक्ति नहीं स्वेच्छा है

और आदर्शों से ही यही इसका दर्शन है जिनकी प्राप्ति हेतु विधियों का निर्माण होता है।

3) संविधानवाद के अनुसार इसकी विधियाँ स्थायी नहीं गतिशील होती हैं। समय में परिवर्तन के साथ-2 इसमें भी परिवर्तन तथा विकास होता है।

(5) संविधान इसमें उल्लिखित नियमों एवं विधियों का समूह है और संविधानवाद इसी से संबद्ध विचारधारा। अर्थात् संविधानवाद सिद्धान्त है और संविधान इसका परिणाम जिसमें राष्ट्र के मूल्यों और आदर्शों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन के संबंध में चर्चा होती है। अतः संविधानवाद साध्य है और संविधान साधन।

संविधानवाद के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि संविधान या विधियों द्वारा स्थापित शासन में शासक की निरंकुशता पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और